Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./8245/2001/जोधपुर

श्रीमती लाबु देवी पत्नी श्री अणदाराम पुत्री श्री गुणेशाराम जाति पटेल निवासी झंवर तहसील लूनी जिला जोधपुर।

.....अपीलार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी।
2. जयरूप राम पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी झंवर तहसील लूनी जिला जोधपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री अमृतपाल सिंह : अधिवक्ता अपीलार्थीया
श्री मुकेश जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

——

दिनांक : 20/2/2018

निर्णय

अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 60/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/7/2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/वादिया श्रीमती लाबु देवी ने रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण जयरूप राम वगैरह के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, जोधपुर के न्यायालय में एक नियमित वाद बाबत घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया/वादिया के पिता

श्री गुणेशाराम के नाम पर खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 88 (नवीन खसरा नम्बर 143) रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा आई हुई थी जिसका गुणेशाराम के नाम पर जोधपुर राज्य द्वारा पट्टा जारी किया गया था और गुणेशाराम ही इस भूमि की बिगोडी की राशि जमा करवाते थे। गुणेशाराम जब तक जीवित थे उनके द्वारा विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त की जाती रही एवं उनके देहान्त के बाद अपीलार्थीया एवं उसके परिवार के सदस्य काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में विवादित भूमि पर अपीलार्थीया का ही कब्जा काश्त है। गुणेशाराम द्वारा विवादित भूमि का कभी हस्तान्तरण नहीं किया गया, न ही किसी को बोने के लिये ही दी गई और न ही किसी के पास गिरवी ही रखी गई। सम्वत 2013–2014 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार एवं गलती से प्रतिवादी संख्या 1 जयरूप राम के पिता के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी गई। वादिया विवादित भूमि की खातेदारी अपने पक्ष में करवाने की विधिक अधिकारिणी है। अतः वादिया/अपीलार्थीया को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें। प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपीलार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। वादिया/अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिकथन, जवाब दावे, प्रतिदावा एवं जवाबुल जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 6/2/2001 द्वारा अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6/2/2001 के विरूद्ध अपीलार्थीया ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19/7/2001 को खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/7/2001 से व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2010, खतौनी जमाबन्दी इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया अपीलार्थीया को

अपनी साक्ष्य को साबित करने का अवसर प्रदान नहीं किया। उनका कथन है कि हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बलवीर सिंह बनाम राज्य 1983 डब्ल्यू.एल.एन. पेज 476 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया विवादित भूमि पर दिनांक 15/10/1955 को टीनेन्ट की हैसियत से काबिज थी अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से अपीलार्थीया स्वतः ही विवादित भूमि की खातेदार हो गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को नजरअन्दाज करके निर्णय पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। विवादित भूमि पर अपीलार्थीया का पिछले 30 वर्षों से लगातार बिना किसी रोक टोक, रेस्पोडेन्ट्स की जानकारी में चला आ रहा है, हमें विवादित भूमि से कभी बेदखल नहीं किया गया है। इसलिये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय अपीलार्थीया के विरूद्ध किये जाने में भारी कानूनी एवं वाक्याति भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 3 के विवेचन में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर अपीलार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रतिदावे के जवाब पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया और न ही अपीलार्थीया को प्रतिदावे के रिबटल में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करने का अवसर ही प्रदान किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सेटलमेन्ट के दौरान यदि कोई व्यक्ति मौके पर एवं भूमि पर काबिज था, तो वह उस भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो लिखत पेश की गई, वह अन रजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर किसी प्रकार के स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। परन्तु इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण रस्पोडेन्ट के पक्ष में मानकर भारी विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 19/7/2001 एवं उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 6/2/2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि हम विवादित भूमि के 50 वर्षों से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से खातेदार है और हमारा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। पत्रावली में उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि सम्वत 2011 से हम विवादित भूमि के लगातार रिकॉर्डेड खातेदार है। स्वयं विद्वान उप खण्ड अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर हम प्रतिवादी का कब्जा माना गया, मौके पर हमारे मकान एवं ढाणी बनी हुई है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के अंत में निवेदन किया गया कि प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, जोधपुर के न्यायालय में अपीलार्थीया द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित वाद रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध बाबत घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए दिनांक 6/2/2001 को खारिज किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री खिलाफ वादिया/अपीलार्थीया इस आशय की डिक्री पारित की गई कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 88 (वर्तमान खसरा नम्बर 143) रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करवाये। तनकी संख्या 1 के संबंध में स्वयं उप खण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर पाया गया कि वादिया/अपीलार्थीया का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और मौके पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की ढाणी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त सम्वत 2011 की खतौनी बन्दोबस्त से आज तक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी के नाम से होने से यह तनकी अपीलार्थीया के विरूद्ध निर्णीत की गई। इसी प्रकार प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन कर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19/7/2001 से खारिज किया गया है।

इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वादिया/अपीलार्थीया विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी की घोषणा करवाना चाहती थी और उसके लिये उसे यह सिद्ध करना था कि वह दिनांक 15/10/1955 को विवादित भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज थी और उसके बाद निरन्त काबिज काश्त रही है। परन्तु वादिया द्वारा

ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे कि विवादित भूमि पर गुणेशाराम/अपीलार्थीया का कब्जा काश्त साबित होता हो। उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा अपने वाद में जो भी बिन्दु उठाये गये है, उन्हें साबित करने का दायित्व स्वयं वादिया का ही था, जिसे वह साबित करने में असमर्थ रही हैं।

अपीलार्थीया द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विचारण न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। इसके विपरीत, जैसा कि हम पूर्व में अंकित कर चुके हैं, तथ्यात्मक बिन्दुओं पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं तथा वाद में उठाये गये बिन्दुओं को साबित करने का दायित्व (burden of proof) स्वयं वादी का होता है, जिसे वे सिद्ध नहीं कर पायी है। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि हस्तगत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के अवलोकन के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष